



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4878]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 11, 2018/अग्रहायण 20, 1940

No. 4878]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 11, 2018/AGRAHAYANA 20, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6108(अ).—केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1365 (अ), तारीख 13 दिसंबर 2004 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

(1) उक्त अधिसूचना की सारणी में -

(i) स्तंभ 1 से 4 में क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:-

(1)	(क) तिपहिया वाहन और संनिर्माण उपस्कर वाहन के लिए एम और एन के प्रवर्गों के लिए मुख्य हैड लाइट मुख्य बीम और डिप की गई में प्रयुक्त फिलामेंट लैंप या प्रकाश स्रोत (एल 1) और एल 2 प्रवर्ग) (ख) तिपहिया वाहन और संनिर्माण उपस्कर यानों के लिए फिलामेंट लैंप या मुख्य बीम और डिण्ड बीम ड्रीप किए गए बीम में प्रयुक्त प्रकाश का स्रोत (ग) यानों और संनिर्माण उपस्कर यानों के प्रवर्गों के एल 1, एल 2, एल 5, एम	ए. आई एस- 034 (भाग 1) रेव.1 2010 या ए आई एस- 034 (भाग 2) रेव.1 2010 : समय समय पर यथा-संबोधित मानक 2010 ए आई एस- 034 (भाग) (ख1): 2010 मानक समय-समय पर यथा-संशोधित ए आई एस- 034 (भाग 1) (ख 1) 2010 मानक समय-	क्रम संख्या के अधीन आने वाले सभी मोटर यानों के लिए : 1 अक्टूबर, 2019 ए आई एस- 034 (भाग 1) (रेव.1) में विनर्दिष्ट बल्बों के प्रवर्ग एस 1, और सी 21 को और 1 अक्टूबर, 2019 के पश्चात अनुज्ञा नहीं दी जाएगी समय-समय पर यथा-संशोधित मानक 2010
-----	---	--	---

	<p>और एन के लिए निम्नलिखित प्रज्वलन और हल्की संकेतक युक्तियों में उपयुक्त फिलामेंट में उपयुक्त फिलामेंट लैंप या रोशनी स्रोत</p> <p>(i) अग्र कोहरा लैंप</p> <p>(ii) पिछला कोहरा लैंप</p> <p>(iii) कारनिंग लैंप</p> <p>(iv) अग्र रजस्ट्रीकरण प्लेट्स (चिन्ह) प्रदीपक लैंप</p> <p>(v) दिशा सूचक लैंप</p> <p>(vi) अग्र अवस्थिति लैंप</p> <p>(vii) पिछड़ा अवस्थिति लैंप</p> <p>(viii) स्टाप लैंप</p> <p>(ix) एंड-आउट लाइन चिन्हक लैंप</p> <p>(x) रिर्विसिंग लैंप</p> <p>(xi) पार्किंग लैंप</p> <p>(xii) पार्श्व चिन्हक लैंप</p> <p>(xiii) दिन समय चालन लैंप</p>	समय पर यथा-संशोधित	
--	--	--------------------	--

(ii) स्तंभ 1 से स्तंभ 4 में क्रम संख्या 7 (क) , के स्थान पर, उप-पैरा (1) और इससे संबंधित निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-

"7	(क) एम और एन के प्रवर्गों के यानों के लिए धात्विक ईंधन	ए आई एस 095: 2007 मानक	1 अक्टूबर, 2019";
----	--	------------------------	-------------------

(i) स्तंभ 1 से स्तंभ 4 में, क्रम संख्या 20, के स्थान पर, उप-पैरा(1) और इससे संबंधित निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात:-

"20	<p>निम्नलिखित युक्तियों की अपेक्षाओं का निष्पादन</p> <p>(क) मुख्य बीम और डिप बीम हैंड लैंप</p> <p>(ख) अग्र कोहरा लैंप</p> <p>(ग) पिछला कोहरा लैंप</p> <p>(घ) कारनिंग लैंप</p> <p>(ङ) अग्र रजस्ट्रीकरण प्लेट्स (चिन्ह) प्रदीपक लैंप</p> <p>(च) निदेश सूचक</p>	<p>ए आई एस – 010 (भाग 1) रेव. 1) समय-समय पर यथा-संशोधित मानक 2010, ए आई एस 010 (भाग 2) (ख1) 2010 समय-समय पर यथा-संशोधित, या ए आई एस 010 (भाग 4) (रेव. 1) समय-समय पर यथा-संशोधित मानक 2010</p> <p>ए आई एस 012 भाग 1 (रेव. 1) :समय-समय पर यथा-संशोधित मानक 2011</p> <p>ए आई एस 12 (भाग 2) (रेव.1) समय-समय पर यथा-संशोधित मानक 2011</p> <p>ए आई एस (भाग 3) (रेव.1) : समय-समय पर यथा-संशोधित मानक 2011</p> <p>ए आई एस 12 (भाग 4) (रेव.1) : समय-समय पर यथा-संशोधित मानक 2011</p> <p>ए आई एस 12 (भाग 5) (रेव.1) : समय-समय पर यथा-संशोधित मानक 2011</p>	<p>क्रम संख्या 20(1) के अधीन आने वाले सभी मोटर यानों के लिए 1 अक्टूबर, 2019";</p>
-----	--	--	---

	<p>(छ) अग्र और पिछड़ा प्रास्थिति (पार्श्व) लैंप स्टाप लैंप और एंड-आइट लाइन चिन्हक लैंप</p> <p>(ज) रिवर्सिंग लैंप</p> <p>(झ) पार्किंग लैंप</p> <p>(ञ) पार्श्व - चिन्हक लैंप</p> <p>(ट) दिन समय चालन लैंप</p>	<p>ए आई एस 12 (भाग 6) (रेव.1) : समय-समय पर यथा-संशोधित मानक 2011</p> <p>ए आई एस 12 (भाग 7) (रेव.1) : समय-समय पर यथा-संशोधित मानक 2011</p> <p>ए आई एस 12 (भाग 8) (रेव.1) : समय-समय पर यथा-संशोधित मानक 2011</p> <p>ए आई एस 12 (भाग 9) (रेव.1) : समय-समय पर यथा-संशोधित मानक 2011</p> <p>ए आई एस 12 (भाग 10) (रेव.1) : समय-समय पर यथा-संशोधित मानक 2011</p>	
--	---	---	--

(IV) स्तंभ 1 से 4 में क्रम संख्या 24 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्निलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :-

"24	<p>(क) यानों (तिपहिया वाले यान) और उनके ट्रेलरों और अर्ध ट्रेलरों के प्रवर्गों के एल 5 के लिए हल्के और प्रकाश संकेतकों की युक्तियों के लिए संस्थापन की अपेक्षाएं</p> <p>(ख) यानों (दो पहियों वाले यान) और उनके ट्रेलरों और अर्ध ट्रेलरों के प्रवर्गों के एल 1 और एल 2 के लिए हल्के और प्रकाश के संकेतकों की युक्ति के लिए संस्थापन की अपेक्षाएं</p>	<p>ए आई एस 009 (रेव. 1) : समय-समय पर यथा-संशोधित मानक 2011</p> <p>ए आई एस 009 : समय-समय पर यथा-संशोधित मानक 2011</p>	<p>1 अक्तूबर, 2019";</p> <p>1 अक्तूबर, 2019";</p>
-----	---	--	---

(V) स्तंभ 1 से 4 में क्रम संख्या 32 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्निलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :-

"32	<p>(i) यानों (तिपहिया वाले यान) और उनके ट्रेलरों और अर्ध ट्रेलरों के प्रवर्गों के एल 5 के लिए हल्के और प्रकाश के संकेतकों की युक्तियों के लिए संस्थापन की अपेक्षाएं</p> <p>(क) (1) मुख्य बीम और डिण्ड बीम हेड लैंप</p>	<p>ए आई एस -010 (भाग 1) (रेव.1) : समय-समय पर यथा-संशोधित मानक 2010 या ए आई एस 010 (भाग 2) (रेव.1) : समय-समय पर यथा संशोधित मानक 2010</p> <p>ए आई एस 012 (भाग 3) (रेव.1) : समय-समय पर यथा-संशोधित मानक 2011</p>	<p>क्रम संख्या 32(i) के अधीन आने वाले सभी मोटर यानों के लिए : 1 अक्तूबर 2019</p>
-----	--	--	--

	<p>(ख) अग्र प्रस्तिति लैंप पिछड़ा प्रस्थिति लैंप, स्टाप लैंप, निदेश संकेतक लैंप, पिछड़ी रजस्ट्रीकरण पलेट (चिन्ह) प्रदीपक युक्तियां</p> <p>(ग) अग्र कोहरा लैंप</p> <p>(घ) पिछड़ा कोहरा लैंप</p> <p>(ङ) रिवर्सिंग लैंप</p> <p>(च) दिन समय चालन लैंप</p> <p>(ii) यानों (दो पहियों वाले यान) यानों के प्रवर्गों के एल 1 और एल 2 के लिए हल्के और प्रकाश संकेतक के लिए निष्पादन की अपेक्षाएं (क) मुख्य बीम डिण्ड बीम हैंड लैंप</p> <p>(ख) अग्र प्रास्थिति लैंप, पिछड़ा प्रास्थिति लैंप, स्टाप लैंप, निदेश संकेतक लैंप पिछड़ा रजस्ट्रीकरण पलेट (चिन्ह) प्रदीपक युक्तियां</p> <p>(ग) अग्र कोहरा लैंप</p> <p>(घ) पिछड़ा कोहरा लैंप</p> <p>(ड.) एस 93 या एस 54 प्रवर्ग का स्टाप लैंप</p>	<p>ए आई एस 012 (भाग 1) (रेव.1) : समय-समय पर यथा-संशोधित मानक 2011</p> <p>ए आई एस 012 (भाग 2) (रेव.1) : समय-समय पर यथा-संशोधित मानक 2011</p> <p>ए आई एस 012 (भाग 7) (रेव.1) : समय-समय पर यथा-संशोधित मानक 2011</p> <p>ए आई एस 012 (भाग 10) (रेव.1) : समय-समय पर यथा-संशोधित मानक 2011</p> <p>ए आई एस -010 (रेव.1) समय-समय पर संशोधित मानक 2010 एआई एस 010 (भाग 2) (रेव.1) : समय-समय पर यथा-संशोधित मानक 2010 या ए आई एस 010 (भाग 4) (रेव.1) :2010 समय-समय पर यथा-संशोधित मानक 2010</p> <p>ए आई एस (भाग 3) (रेव.1) : समय- समय पर यथा-संशोधित मानक 2010</p> <p>ए आई एस 012 (भाग 1) (रेव.1) : समय-समय पर यथा-संशोधित मानक 2011</p> <p>ए आई एस 012 (भाग 2) (रेव.1) : समय-समय पर यथा-संशोधित मानक 2011</p> <p>ए आई एस 012 (भाग 6) (रेव.1) : समय-समय पर यथा-संशोधित मानक 2011</p> <p>ए आई एस 012 (भाग 6) (रेव.1) : समय-समय पर यथा-संशोधित मानक</p>	<p>क्रम संख्या 32(ii) के अधीन आने वाले सभी मोटर यानों के लिए : 1 अक्टूबर 2019";</p>
--	--	---	---

	(च) दिन समय चालन लैंप	2011 ए आई एस 012 (भाग 10) (रेव.1) : समय-समय पर यथा-संशोधित मानक 2011	
--	-----------------------	---	--

[फा. सं. आर टी - 11028/11/2014 एम वी एल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3 खंड III, उप-खंड (ii) में प्रकाशित संख्या का. आ. 1365 (अ), तारीख 13 दिसंबर 2004 द्वारा जारी की गई थी और का. आ. 2210 (अ) तारीख 1 जून, 2018 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th December, 2018

S.O. 6108(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 109 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O.1365(E) dated 13th December, 2004, published in Part II, section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, namely:-

(1) In the said notification, in the Table, -

(i) for serial number 1 and entries relating thereto in column 1 to 4, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely, -

“1.	(a) Filament lamp or light source used in headlamp main-beam and dipped-beam for M and N categories and two wheeled vehicles (L1 and L2 Category)	AIS-034 (Part 1) (Rev.1):2010 or AIS-034 (Part 2) (Rev.1) : 2010 standard as amended from time to time.	For all motor vehicles covered under Sr. No 1: 1 st October, 2019.
	(b) Filament lamp or light source used in headlamp main-beam and dipped- beam for three wheeled vehicles and construction equipment vehicles	AIS- 034 (Part 1) (Rev.1) : 2010 standard as amended from time to time.	S1, R2 and C21 categories of bulbs specified in AIS-034 (Part 1) (Rev.1): 2010 standard as amended from time to time, shall not be permitted on and after the 1 st day of October, 2019.”;
	(c) Filament lamp or light source used in following lighting and light-signalling devices for L1,L2,L5, M and N categories of vehicles and construction equipment vehicles: (i) Front fog lamps (ii) Rear fog lamps (iii) Cornering lamps (iv) Rear registration plates (mark) illuminating lamps (v) Direction indicator lamps (vi) Front position lamps, (vii) Rear position lamps, (viii) Stop-lamps (ix) End-outline marker lamps (x) Reversing lamps (xi) Parking lamps (xii) Side-marker lamps (xiii) Daytime running lamps	AIS-034 (Part 1) (Rev.1) : 2010 standard, as amended from time to time.	

- (ii) for serial number 7(a) and entries relating thereto in columns 1 to 4, the following serial number and entries shall be substituted, namely: -

“7	(a) Metallic fuel tanks for vehicles of categories M and N	AIS-095:2007 standard	1 st October, 2019”;
----	--	-----------------------	---------------------------------

- (iii) for serial number 20, sub-para (i) and entries relating thereto in columns 1 to 4, the following serial number and entries shall be substituted, namely: -

“20	(i) Performance requirements of the following devices.-		For all motor vehicles covered under Sr. No 20(i):1 st October, 2019.”;
	(a) Main-beam and dipped-beam headlamps	AIS-010 (Part 1) (Rev.1): 2010 standard as amended from time to time, AIS-010 (Part 2) Rev.1):2010, as amended from time to time, or AIS-010 (Part 4) (Rev.1): 2010 standard as amended from time to time	
	(b) Front fog lamps	AIS-012 (Part 1)(Rev 1) : 2011 standard as amended from time to time	
	(c) Rear fog lamps	AIS-012 (Part 2)(Rev.1) : 2011 standard as amended from time to time	
	(d) Cornering lamps	AIS-012 (Part 3)(Rev. 1) : 2011 standard as amended from time to time	
	(e) Rear registration plates (mark) illuminating lamps	AIS-012 (Part 4)(Rev.1) : 2011 standard as amended from time to time	
	(e) Direction indicators	AIS-012 (Part 5) (Rev.1) : 2011 standard as amended from time to time	
	(f) Front and rear position (side) lamps, stop-lamps and end-outline marker lamps	AIS-012 (Part 6)(Rev.1) : 2011 standard as amended from time to time	
	(g) Reversing lamps	AIS-012 (Part 7)(Rev.1) : 2011 standard as amended from time to time	
	(h) Parking lamps	AIS-012 (Part 8)(Rev.1) : 2011 standard as amended from time to time	
(i) Side-marker lamps	AIS-012 (Part 9) (Rev.1) : 2011 standard as amended from time to time		
(j) Daytime running lamps	AIS-012 (Part 10) (Rev.1) : 2011 standard as amended from time to time		

- (iv) for serial number 24 and entries relating thereto in columns 1 to 4, the following serial number and entries shall be substituted, namely: -

“24	(a) Installation requirements for lighting and light-signalling devices for L5 category of vehicles (three wheeled vehicles) and their trailers and semi-trailers.	AIS-009:(Rev.1): 2011 standard as amended from time to time.	1 st October, 2019.
	(b) Installation requirements for lighting and light-signalling devices for L1 and L2 categories of vehicles (two wheeled vehicles) and their trailers and semi-trailers	AIS-009:(Rev.1):2011 standard as amended from time to time	1 st October, 2019”;

- (v) for serial number 32 and entries relating thereto in columns 1 to 4, the following serial number and entries shall be substituted, namely: -

“32	(i) The performance requirements for lighting and light-signalling devices for L5 category of vehicles (three wheeled vehicles) and their trailers and semi-trailers		For all motor vehicles covered under Sr. No 32(i): 1 st October, 2019.	
	(a) (a)Main-beam and dipped-beam headlamps	AIS-010 (Part 1) (Rev.1): 2010 standard as amended from time to time or AIS-010(Part 2) (Rev.1): 2010 standard as amended from time to time.		
	(b) Front position lamps, rear position lamps, stop lamps, direction indicator lamps, rear registration plate (mark) illuminating devices	AIS-010 (Part 3) (Rev.1) : 2010 standard as amended from time to time		
	(c) Front fog lamps	AIS-012 (Part 1) (Rev.1): 2011 standard as amended from time to time.		
	(d) Rear fog lamps	AIS-012 (Part 2)(Rev.1): 2011 standard as amended from time to time.		
	(e) Reversing lamps	AIS-012 (Part 7) (Rev.1): 2011 standard as amended from time to time.		
	(f) Daytime running lamps	AIS-012 (Part 10) (Rev.1) : 2011 standard as amended from time to time		
	(ii) The performance requirements for lighting and light-signalling devices for L1 and L2 category of vehicles (two wheeled vehicles)			For all motor vehicles covered under Sr. No 32(ii): 1 st October, 2019”.
	(a) Main-beam and dipped beam headlamps	AIS-010 (Part 1) (Rev.1): 2010 standard as amended from time to time, AIS-010 (Part 2) (Rev.1): 2010 standard as amended from time to time, or AIS 010 (Part 4) (Rev.1): 2010 standard as amended from time to time.		
	(b) Front position lamps, rear position lamps, stop lamps, direction indicator lamps, rear-registration plate (mark) illuminating devices.	AIS-010 (Part 3) (Rev.1) : 2010 standard as amended from time to time		
(c) Front fog lamps	AIS-012 (Part 1) (Rev.1) : 2011 standard as amended from time to time			
(d) Rear fog lamps	AIS-012 (Part 2) (Rev.1) : 2011 standard as amended from time to time			
(e) Stop lamps of S3 or S 4 category	AIS-012 (Part 6)(Rev.1) : 2011 standard as amended from time to time			
(f) Daytime running lamps	AIS- 012 (Part 10) (Rev.1) : 2011 standard as amended from time to time			

[F. No. RT-11028/11/2014-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note: The principal notification was issued *videnumber* S.O.1365(E) dated 13th December, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, section 3, sub-section (ii), and last amended *vide* S.O.2210 (E) dated 1st June, 2018.